

अपील/एलआर-76/नं० 320/सन् 2020 RAA, नागौर
पन्नेखां बनाम राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मकराना

39

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2020/00320) अपी० अभि० :- पुनीत शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-09-20	बार ऐशो. द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पी.ओ.साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 14-9-20 को पेश हो।	
14/9/20	<p>अभि० अपीलान्ट उपास्थित नहीं/अपीलाधी रूपे अपील अपीलाधी को कड-रुड कर तीन बार आवामें लगवाई गई। किन्तु अपीलाधी/अभि० अपीलाधी उपास्थित नहीं आये। उपर अभि० रजिस्ट्र अरिस्ट (प्राथमिक) आर्डर नं० 01 R/10 एवं धारा 151 (P.L.) एवं रजि० पी० अभि० द्वारा अपीलाधी/अभि० अपीलाधी को उपास्थित नहीं आने पर अपनी अपील दुरु करवाई। अपीलाधी/अभि० अपीलाधी को पुनः कड-रुड कर आवामें लगवाई गई किन्तु उपास्थित नहीं आये। अतः अपील अपीलान्ट अरिस्ट हाजरी एवं अरिस्ट पत्रावली में स्वार्जि की जाती है। पत्रावली संसक अमर सेवर नम्बर से कम है।</p> <p>(डॉ. आरुषी मलिक) संवनीय आयुक्त नागौर</p>	